(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 922–तीन/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.4.2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 327/अपील/बी–121/2004–2005.

सुरेश कुमार तनय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय
निवासी ग्राम मकरोनिया बुजुर्ग,
हाल निवासी सिविल लाईन,सागर
तहसील व जिला सागर म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव
अना0 शासन अधि0 श्री राजेश त्रिवेदी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-1-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 327/अपील/बी–121/2004–2005 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला सागर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की कि ग्राम मकरोनिया बुजुर्ग पटवारी ह0 न0 11 में हल्का तनय मुलू चढ़ार को खसरा न0 152

रकवा 1.70 एकड़ एवं खसरा न0 175 रकवा 0.78 एकड़ शासकीय भूमि को कृर्षि कार्य के लिये पटट्ा दिया गया था, शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में यह भी लेख किया है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से विक्रय पटट्ेदार के द्वारा कर दिया गया है। उक्त भूमि मकरोनिया चौराहे से लेकर हाउसिंग बोर्ड तक एन.एच. रोड़ तक लगी है । उक्त नबंरों पर पक्के मकान बनाकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है । कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायत की जांच तहसीलदार सागर द्वारा कराई जाकर उनके द्वारा अपना प्रतिवेदन क्रमांक/री0तह0/वृत सागर दो/2004/763 दिनांक 6.11.2004 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटट्े वर्ष 1957–58 में दिये गये थे, शासकीय भूमि को विक्रय करने का प्रावधान म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7ख) में किया गया है । अतः उपरोक्त पटट्ेदार को भूमि विक्रय करने के पूर्व कलेक्टर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, उक्त शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जावे। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा उक्त शिकायत दिनांक 20.12.2004 को नस्तीबद्ध की, उससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को आवेदन प्रस्तुत किया जो प्र0क0 327/अपील/बी–121/2004–05 पर दर्ज होकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6.4.2005 को अपने आदेश में लेख किया है कि आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है और उक्त शिकायत आर.बी.सी. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है शिकायत के संबंध में निराकरण रा0पु0प0 के तहत आदेश की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपील अग्राह् की है इसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में लेख किया गया है मुख्य रूप से उनका तर्क यह है कि नगर निगम सीमा में भूबंटन होने पर और नियम विरूद्ध बंटन एवं विक्रय होने पर कलेक्टर महोदय को स्वमेव निगरानी में लेकर विक्रय पत्र शून्य घोषित करना चाहिये जो कि उनके द्वारा तहसीलदार सागर से प्रतिवेदन मंगाकर उसी आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है जो विधि विधान से परे होकर मन माने ढंग से आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । उनके द्वारा अंत में निवेदन किया है कि कलेक्टर महोदय एवं अपर आयुक्त महोदय का आदेश निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे ।

5– शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यही तर्क दिया गया है कि कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है तथा आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है और उसको शिकायत करने की कोई अधिकारिता नहीं है कलेक्टर महोदय का आदेश एवं अपर आयुक्त का आदेश समवर्ती आदेश होने से दोनों न्यायालयों द्वारा सही आदेश पारित किया गया है । अतः आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

6– मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया जिसमें कलेक्टर द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन मंगाया गया है तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन के पैरा –2 में लेख किया है कि पटवारी हल्का न011 में लिखा है कि खसरा न0153 रकवा 1.70 एकड़ एवं खसरा न0 175 रकवा 0.78 एकड़ छोटा घास मद में मिसल बन्दोववस्त वर्ष 1913–14 में दर्ज है। वर्ष 1954–55 के अधिकार अभिलेख में खसरा न0 175 रकवा 0.78 एकड़ म0प्र0 शासन छोटा घास के नाम दर्ज थी जो अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्र0क0 15/अ–25/1957–58 संशोधन पंजी कमांक 17 के द्वारा यह

भूमि हल्का तनय मुलू चढ़ार को पटटे पर दी गई है । इसी प्रकार ख0 न0153 रकवा 0.63 अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्र0क0 15/अ–25/1957–58 द्वारा यह भूमि हल्का तनय मुलू चढ़ार को पटटे पर दी गई है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं प्रकरण में आये तथ्यों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि 1957–58 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 167(7ख) लागू नहीं होने के कारण भूमि विक्रय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । अतः कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 20.12.2004 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 327/अपील/बी–121/04–05 में पारित आदेश दिनांक 6.4.05 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तथा दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने स्थिर रखे जाते हैं, तथा निगरानी निरस्त की जाती है ।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर